न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर

उनवान ....संध्या.... बनाम ....कान्ती....

मुकदमा संख्या/वर्ष 32/20.20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/4/22	पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली गनन कर तहसीलदार जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि वादी द्वारा वाद बाबत् खसरा नम्बर 101 रकबा 0.43 हैक्टेयर, ख0 न0 114 रकबा 0.6703 है., ख0 न0 115 रकबा 0.2150 है., ख0 न0 121 रकबा 0.6323 है, ख0 न0 81 रकबा 0.5617 है., ख0 न0 82 रकब 2.3649 है ख0 न0 87 रकब 0.4553 है0, ख0 न0 90 रकबा 1.8843 है0, ख0न0 91 रकबा 2.3522 है0, ख0न0 92 रकबा 0.8852 है0, ख0न0 99 रकबा 0.6070 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 11.0782 है0 ग्राम चक बाराडी, प0 ह0 सरनाडूंगर, भू० अ० निरीक्षक क्षेत्र मावबा तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। उक्त में सहखातेदारान् के मध्य तकासमा पेश किया गया, उक्त वाद मे सभी पक्षकारान् की पुखा तामील करवाई गई। विवादग्रस्त भूमि की मौका रिकॉर्ड स्थिति हेतु तहसीलदार जयपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार जयपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि चक बाराडी के ख० न० 101, 114, 115, 121, 81, 82, 87, 90 91, 92, 99 पर जमाबंदी संवत 2075-18 में भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज होने से रेफरेंस प्रकरण विचाराधीन है एवं यथास्थिति का नोट अंकित है। उक्त रेफरेंस प्रकरण श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त वाद पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज (जमाबंदी) व तहसीलदार रिपोर्ट का पूर्ण अध्ययन कर यह पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ख0 न0 101, 114 115, 121, 81, 82, 87, 90, 91, 92, 99 के माफी मन्दिर होने बाबत् रेफरेंस श्रीमान अति0 जिला कलक्टर द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन है, इस भूमि बाबत मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति के आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में रेफरेंस विचाराधीन रहते सहखातेदारों के मध्य तकासमा करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि बाद तकासमा न ही तक[illegible] की जाएगी व न ही अपने हिस्से/कब्जे [illegible] का बेचान, न ही किस्म परिवर्तन [illegible] डिक्री जारी करने के उपरांत [illegible] कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकेगा, बल्कि मौके पर विवाद होने के आसार उत्पन्न हो जायें[illegible] अब उभयपक्ष अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज हो कृषि कार्य कर रहे हैं। उन पर विभाजन न होने का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड रहा।	

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद तकासमा ग्राम चक बासडी, प0 ह0 सरनाचौड, भू0 अ0 निरीक्षक क्षेत्र माचवा स्थित खसरा नम्बर 101 रकवा 0.43 हैक्टेयर, ख0 न0 114 रकबा 0. 6703 है. ख0 न0 115 रकबा 0.2150 है., ख0 न0 121 रकबा 0.6323 है, ख0 न0 81 रकबा 0.5817 है., ख0 न0 82 रकब 2.3649 है ख0 न0 87 रकब 0.4553 है0, ख0 न0 90 रकबा 1.8843 है0, ख0न0 91 रकबा 2.3522 है0, ख0न0 92 रकबा 0.8852 है0, ख0न0 99 रकबा 0.6070 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 11.0782 है0 इस आशय से खारिज किया जाता है कि रेफरेंस के निर्णय उपरांत, उक्त निर्णयानुसार यदि वह तकासमे के अधिकारी पाये जाते हैं तो यह वाद पुनः पेश कर, चाहा अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:35 IST
Reason: SelfAttested